



HARYANA GOVERNMENT

ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT

OF THE

HARYANA JAILS DEPARTMENT

FOR THE

YEAR 2015-16

REVIEW OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF THE HARYANA JAILS DEPARTMENT FOR THE YEAR 2015-16.

In the year 2015-16 following Institutions functioned under the Administrative control of the Jails Department: -

1.	Central Jails Ambala, Hisar I & Hisar II	03
2.	District Jails Rohtak, Gurgaon, Karnal, Kurukshetra, Bhiwani, Sirsa, Jind, Sonapat, Rewari, Kaithal, Yamunanagar, Faridabad, Narnaul, Palwal, Panipat and Jhajjar	16
3.	Jail Training School, Karnal	01
4.	Office of the District Probation Officers Ambala, Hisar, Rohtak, Karnal, Gurgaon, Jind, Bhiwani, and Sirsa.	08
Total		28

2. The total number of prisoners of all categories in jails and judicial lock ups of the state as on 01.01.2015 were 18,642. During the calendar year 2015, total 54, 574 prisoners were admitted in the jails at different point of time. At the end of the Calendar year (31st December 2015) 18,269 prisoners were lodged in all the jails in Haryana.

3. The number of convicts in Jails were 7517 as on 01.01.2015. During the calendar year 2015, additional 5712 convicted either by the courts in Haryana or came on transfer from other places were admitted in the jails in Haryana. During the calendar year 2015, total 5449 convicts were released from jails and 7,780 convicts remained lodged in jails at the end of the calendar year (31st December 2015). The number of civil prisoners as on 31-12-15 was 39.

4. The number of under trial prisoners as on 01.01.2015 was 11,124. During the calendar year 2015, additional 48,862 undertrial prisoners were admitted in Jails. Out of total 59,986 undertrial prisoners 49,497 were released on bail/appeal/acquittal or have been convicted etc. A total of 10,489 undertrial prisoners remained lodged in jails at the end of the year (31st December 2015).

5. Number of women prisoners in Jails of Haryana as on 01.01.2015 was 784. During the calendar year 2015, additional 1628 women prisoners were admitted in Jails (direct or by transfer from other Jails). Out of them 1,689 women prisoners were either released or transferred to other Jails. Therefore, number of women prisoners in all the jails at the end of the year was 723(31st December 2015). 46 children were lodged along with their mothers as on 31-12-2015.

6. During the year 2015-16 a sum of Rs. 1,78,75,93,000/- were spent on security management, diet and health care etc. of the prisoners. Thus per capita annual average expenditure was Rs. 97,848/-(Rs.268/- per prisoner per day). During the previous year 2014-15 a sum of Rs. 1,60,68,00,000/- were spent on the prisoners. Thus per capita annual average expenditure was Rs. 86,113/-(Rs. 235.92 per prisoner per day). During this financial year 2015-2016 a sum of Rs.28,86,28,781/- were spent on the diet of the prisoners. Thus of per capita annual expenditure on food was Rs. 15,799/- (Rs. 43/- per prisoner per day).

7. During the year 2015-16, health of the prisoners remained satisfactory and due attention was paid towards the sanitation facilities inside the Jails. T.B patients were isolated and kept in different parts of the jail hospitals. They were given regular medical treatment, under the DOT Scheme. In order to improve the general sanitation, Indian and European Commodes with under ground sewerage system were provided for the prisoners. Ceiling Fans were provided in the barracks for the prisoners and most of the jails have been connected with separate electricity lines. Diesel Generator Sets have been provided in all the jails for emergency light arrangements.

During the year under report, the standard of discipline in the jails was satisfactory. The details of incidents of indiscipline which came to notice are as under: -

a)	Quarrels/Brawls	During the year 2015-16, there were 08 quarrel/ brawl in Jails of the state.
b)	Hunger Strike	During the year 2015-16, No prisoner resorted to hunger strike.
c)	Escape	During the year 2015-16, one incident of escape occurred from the Jails of Haryana.
d)	Attack	During the year 2015-16, there was no case of attack by the prisoners.

62 prisoners undergoing life imprisonment were released pre-maturely and 4,411 prisoners were released on parole/furlough during the calendar year 2015. The prisoners are kept in the jails nearest to their home as far as possible. The prisoners whose conduct in jails was adjudged good and who were otherwise eligible as per Jail Manual were awarded special remission as per the rules by the concerned Superintendent Jail. In the year 2015, special remission was also granted by the HIS EXCELLENCY the Governor of Haryana and by the State Government.

8. For mental and physical development of the prisoners, arrangements for lectures for spiritual and physical well being of the prisoners were made. Arrangements for morning and evening prayers, prisoner meetings, media programmes, indoor and outdoor games and practice of yoga had also been made. 21st June was observed as the International Yoga Day. 614 lectures, 23 dramas and 169 cultural programmes were organized in the jails during the year under report. For the recreation of prisoners, television sets with cable connection have also been allowed.

9. During the year 2015-16, total 68 prison officers were imparted training in various Institutions. All the staff recruited in the Department undergo induction training. Regular refresher courses are also held at Institute of Correctional Administration, Chandigarh, Haryana Institute of Public Administration, NICFS and our own Jail Training School at Karnal. The famous NGO, "India Vision Foundation" headed by Dr. Kiran Bedi, IPS (Retd), has organized training programmes for the Prison Officers in four phases at District Jail, Gurgaon in which all the Prison Officers have participated.

10. The prisoners were provided facilities for purchasing commodities at reasonable rates for their personal use such as Sugar, tea, gur, Surf, Biscuits, Dhoop, Cold Drinks, Milk, Undergarments, Toiletries, Namkeen, Dahi, Dalia, Shoes, Chappals, Powder, Pickle, Jalebi, Samosa, Gulab Jamun, Pakora etc. from the canteen opened in the Jails. These canteens have been opened in all the Central Jails and District Jails and are being run as per Jail Canteen Management Rules 1965. New Software has been installed at all the jails to run Cash Less System in the Canteen w.e.f. 1.4.2015 in order to have more transparency as well as to provide better facilities to the inmates at reasonable prices. All goods are purchased through well known wholesale dealers like Metro, Best price Shops etc. at reasonable rates.

11. The Panchayat of the prisoners appointed in various jails gave full co-operation to the officers in distribution of ration and other goods, running of

canteen, cultural activities, education, yoga etc. The prisoners were given training in industrial and agricultural practices according to their choice by arranging training programme from time to time. With the assistance of the Technical Education Department, vocational training programmes in 16 jails have been started in two or three trades like Plumbing, Electrician and Computer Data Operator. Approximately 2,153 prisoners have already been enrolled under the scheme for vocational training.

12. Prison Inmate Calling System have been installed in all the jails except the very small ones namely Panipat, Palwal and Rewari. Now the Govt. has increased the timings of calling for each prisoner from 10 minutes to 35 minutes weekly and 60 minutes weekly for female inmates. It would help the family members of prisoners residing at a long distance to economy on their travel expenses and time.

13. New Interview Rooms with modern facilities have been installed at the jails.

Ram Niwas, IAS

Additional Chief Secretary to Govt Haryana
Jails Department.

CRITIQUE

By the end of the year i.e. 31.12.2015 there was a provision for accommodation for 16,718 prisoners in Haryana, where as the number of prisoners as on 31-12-2015 were 18269. During this year the situation of accommodation/capacity as compared to the number of inmates was satisfactory. At present authorized accommodation is sufficient to accommodate present prison population. However construction of new jails at Panipat and Rewari had been started to accommodate about 2000 more prisoners. The construction work of Female barracks in District Jail, Sonapat had also been started where female prisoners of Sonapat District and nearby districts shall be lodged.

2. In the year 2015-16, one incident of escape occurred from the Jails of Haryana. There were 8 cases of quarrels/scuffle in jails of the state. No prisoner was reported to have resorted to hunger strike during the year. There was no case of attack by the prisoners during the calendar year.

3. In the year calendar year 2015, total 62 life term prisoners were released prematurely. Keeping in view the welfare and family circumstances of the prisoners 4,411 prisoners were released on parole/ furlough.

Ram Niwas, IAS
Additional Chief Secretary to Govt Haryana
Jails Department.

हरियाणा जेल विभाग की वर्ष 2015-16 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित संस्थाएँ जेल विभाग के अधीन कार्यरत रही:-

1. केन्द्रीय जेल अम्बाला, हिसार-I एवं हिसार-II	03
2. जिला जेल रोहतक, करनाल, गुडगांव, भिवानी, सिरसा, जीन्द, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, रिवाड़ी, नारनौल, कैथल, यमुनानगर फरीदाबाद, पलवल, पानीपत एवं झज्जर	16
3. जेल ट्रेनिंग स्कूल, करनाल	01
4. जिला परिवीक्षा अधिकारी सिरसा, भिवानी, करनाल, गुडगांव, अम्बाला, जीन्द, रोहतक, हिसार।	08

कुल

28

2. राज्य की सभी जेलों में सभी श्रेणियों के बन्दियों की संख्या 01.01.2015 को 18,642 रही। कैलेण्डर वर्ष 2015 के दौरान कुल 54,574 बन्दी विभिन्न समय पर जेलों में दाखिल हुए। वर्ष 2015 के अन्त में 31.12.2015 को हरियाणा राज्य की जेलों में 18,269 बन्दी शेष रह गये।

3. कैदी बन्दियों की संख्या 01.01.2015 को 7,517 थी। कैलेण्डर वर्ष 2015 में 5,712 अतिरिक्त कैदी बन्दी न्यायालयों से सजा मिलने पर या दूसरे स्थानों से बदल कर हरियाणा की जेलों में दाखिल किये गये। कैलेण्डर वर्ष 2015 के दौरान कुल 5,449 बन्दी जेलों से छोड़े गये। इस प्रकार कैलेण्डर वर्ष 2015 के अन्त में दिनांक 31.12.2015 को कुल 7,780 कैदी बन्दी जेलों में रह गये। दिनांक 31.12.2015 को 39 सिविल बन्दी थे।

4. विचाराधीन बन्दियों की संख्या 01.01.2015 को 11,124 थी। इस वर्ष 2015 में जेलों में 48,862 अतिरिक्त विचाराधीन बन्दी दाखिल हुये। कुल 59,986 विचाराधीन बन्दियों में से 49,497 विचाराधीन बन्दी बेल/अपील/बरी इत्यादि पर रिहा किये गये और वर्ष 2015 के अन्त में 31.12.2015 को 10,489 विचाराधीन बन्दी जेल में शेष रहे गये।

5. हरियाणा की जेलों में दिनांक 01.01.15 को महिला बन्धियों की संख्या 784 थी। वर्ष 2015 के दौरान 1628 अतिरिक्त महिला बन्दी जेलों में सीधे या दूसरे जेलों से बदल कर आये। 1,689 महिला बन्धियों को रिहा किया या दूसरी जेलों में भेजा गया इसलिये वर्ष 2015 के अन्त में 31.12.2015 को महिला बन्धियों की संख्या 723 थी। दिनांक 31.12.2015 को 46 बच्चे जेलों में अपनी माता के साथ रखे हुये थे।

6. बन्धियों की सुरक्षा, खाने पीने तथा अन्य के सम्बन्ध में वर्ष भर वर्ष 2015-16 में 1,78,75,93,000 रुपये खर्च किये गये। इस प्रकार वर्ष भर में प्रति बन्दी औसतन खर्चा 97,848/- रुपये हुआ (268.00 रुपये प्रति बन्दी प्रति दिन)। बन्धियों की सुरक्षा, खाने पीने तथा अन्य के सम्बन्ध में पूर्व वर्ष 2014-15 में 1,60,68,00,000/-रुपये खर्च किये गये। इस प्रकार वर्ष भर में प्रति बन्दी औसतन खर्चा 86,113 रुपये हुआ (235.92 पैसे प्रति बन्दी प्रति दिन)। वर्ष 2015-16 में बन्धियों के खाने पर 28,86,28,781/- खर्च किये गये। इस प्रकार वर्षभर में प्रति बन्दी औसत खर्चा 15,799 हुआ (43 रुपये प्रति बन्दी प्रति दिन)।

7. बन्धियों का स्वास्थ्य 2015-16 वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा तथा जेलों में सफाई व शौचालय सुविधायों की ओर विशेष ध्यान दिया गया तपेदिक के रोगियों को जेल के हस्पतालों में अलग रखा गया तथा उनके लिये उचित चिकित्सा का प्रबन्ध है। जेलों में सामान्य स्वच्छता में सुधार हेतु बन्धियों के लिये भूमिगत सीवरज तथा शौचालयों का प्रबन्ध है और सभी शौचालयों में देसी व युरोपियन शौचालय सीटे लगी हुई हैं। बीमारियों से बचने के लिये विभिन्न साधन जुटाये गये व सफाई का विशेष ध्यान रखा गया। बन्धियों की बैरकों में बिजली के पंखे लगाये हुये हैं। अधिकतर जेले विशेष बिजली लाईनों से जोड़ी गई है और आपात व्यवस्था हेतु प्रत्येक जेल में जेनरेटर सैटो की व्यवस्था भी की गई है। वर्ष के दौरान जेलों में अनुशासन का स्तर सन्तोषजनक रहा। बन्धियों की अनुशासनहीनता का ब्यौरा, निम्न प्रकार से है :-

क)	झगड़े के मामले	-	वर्ष 2015-16 भर में राज्य की सभी जेलों पर 08 उपद्रव हुये।
ख)	भूख हड़ताल	-	वर्ष 2015-16 में हरियाणा की जेलों में किसी बन्दी ने भूख हड़ताल नहीं की।
ग)	फरारी	-	वर्ष 2015-16 में हरियाणा की जेलों से फरारी की एक घटना हुई।
घ)	आक्रमण	-	वर्ष 2015-16 में बन्धियों द्वारा कोई आक्रमण नहीं हुआ।

कैलेण्डर वर्ष 2014 में 62 आजीवन कारावास बन्दियों को समय से पूर्व रिहा किया गया तथा 4411 बन्दियों को इस वर्ष के दौरान पैरोल/फर्लो पर रिहा किया गया। जहां तक संभव हो सका बन्दियों को उनके घर के नजदीक की जेलों में रखा जाता है। जिन बन्दियों ने अच्छा कार्य किया तथा जो बन्दी जेल मैनुअल के अनुसार माफी के पात्र थे उन्हें सम्बन्धित जेल अधीक्षक द्वारा विशेष माफी नियमानुसार दी गई। वर्ष 2015 में महामहिम राज्यपाल एवं राज्य सरकार द्वारा भी बन्दियों को सजा में विशेष छूट दी गई।

8. मानसिक तथा शारीरिक विकास के लिये आध्यात्मिक और शारीरिक विषयों पर प्रवचन दिलवाने का प्रबन्ध करवाया गया। प्रातः व सांय काल प्रार्थना सभाओं, बन्दी सभाओं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलों के अतिरिक्त योगाभ्यास प्रबन्ध भी किया गया। 21 जुन अन्तराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया। इस वर्ष 614 व्याख्यान, 23 झ्रामें और 169 सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गये। बन्दियों के मनोरंजन के लिये सभी जेलों में टेलीविजन केबल सहित सैट की भी अनुमति प्रदान की गई।

9. वर्ष 2015-16 में कुल 68 अधिकारियों ने विभिन्न संस्थाओं में प्रशिक्षण लिया। विभाग में सभी श्रेणी के नवनियुक्त स्टाफ को विशिष्ट प्रशिक्षण दिलवाया गया। आई0सी0ए चण्डीगढ़, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, एन0आई0सी0एफ0एस0 तथा इस विभाग के जेल प्रशिक्षण संस्थान, करनाल में नियमित तौर पर रैफरेशर कोर्स आयोजित करवाये गये। श्रीमती किरण बेदी (सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा) द्वारा संचालित प्रसिद्ध एन0जी0ओ 'इंडिया वीजन फाउंडेशन' ने जिला जेल गुडगावां में जेल अधिकारियों के लिये चार खण्डों में प्रशिक्षण आयोजित किया जिसमें सभी जेल अधिकारियों ने भाग लिया।

10. बन्दियों को उचित मूल्य पर जेलों की कैन्टीनों में दैनिक उपभोग की वस्तुओं जैसे चीनी, चाय, गुड़, बिस्कूट, घूप, दूध, अन्डरवीयर व बनियान, प्रसाधन सामग्री, कोल्ड ड्रिन्क, जूते, चप्पल, नमकीन, आचार, इत्यादि आदि की सुविधा दी गई है। ये कैन्टीन सभी केन्द्रीय कारागारों और जिला कारागारों में हैं और यह कैन्टीनें जेल कैन्टीन मैनेजमेंट, नियम 1965 अनुसार चलाई जा रही है। सभी जेलों में पारदर्शिता हेतु कैश लैस कैन्टीन की सुविधा नये सौफ्टवेयर के साथ शुरु करने की प्रक्रिया 1/4/2015 से प्रारम्भ की जा चुकी है। जेल कैन्टीन पर सस्ता व अच्छी गुणवत्ता का सामान बेचा जा रहा है और सामान प्रसिद्ध डीलरस जैसे मैटरो, बेस्ट प्राइज व अन्य ब्रांडड दुकानों इत्यादि से उचित मूल्यों पर खरीदा जाता है।

11. भिन्न भिन्न जेलों में नियुक्त की गई बन्दियों की पंचायतों ने राशन और खाने के वितरण में अधिकारियों को पूर्ण सहयोग दिया। समय-2 पर बन्दियों को उनकी रुचि के अनुसार उद्योग तथा आधुनिक कृषि के तरीकों का प्रशिक्षण दिया गया। तकनीकी विभाग हरियाणा की सहायता से 16 जेलों में दौ या तीन टेडस में जैसे पलम्बरिंग, बिजली, व कम्प्यूटर डाटा ओपरेटर में बन्दियों को तकनीकी प्रशिक्षण देने हेतु प्रक्रिया आरम्भ की जा चुकी है। लगभग 2153 बन्दी इन व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं।

12. "प्रीजन इमेट कालिंग सिस्टम" जिला जेल पानीपत, पलवल व रिवाड़ी को छोड़कर बाकि सभी जेलों में स्थापित किये गये हैं। अब सरकार ने बन्दियों को इस सुविधा से बात करने की सीमा अवधि 10 मिनट से बढ़ाकर 35 मिनट प्रति सप्ताह तथा महिला बन्दियों के लिये 60 मिनट प्रति सप्ताह कर दी है जिससे बन्दियों के परिवारगण, जो कि दूर रहते हैं, को यात्रा व्यय व समय की बचत में सहायक होगी।

13. सभी जेलों में नये मुलाकात कक्ष आधुनिक मुलाकात सुविधाओं सहित स्थापित किये जा चुके हैं।

राम निवास, भा0प्रा0से0

अतिरिक्त मुख्य सचिव, जेल विभाग, हरियाणा।

समालोचना

31-12-2015 तक हरियाणा में 16,718 बन्दियों को रखने का प्रबन्ध था जबकि वर्ष 2015 के अन्त में बन्दियों की संख्या 18,269 थी। इस वर्ष जेल में अधिकृत क्षमता तथा बन्दियों की संख्या का अनुपात काफी संतोषजनक रहा। वर्तमान में हरियाणा राज्य की जेलों में बन्दियों की अधिकृत क्षमता वर्तमान में बन्दियों की गिनती अनुसार पर्याप्त है। पानीपत व रिवाड़ी में 2000 बन्दियों को रखने हेतु नई जिला जेल का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। जिला जेल सोनीपत में महिला वार्ड बनाने का कार्य भी प्रारम्भ किया जा चुका है जहां पर सोनीपत व उसके नजदीक जिलों की महिला बन्दियों को रखा जायेगा।

2. वर्ष 2015-16 में जेलों से फरारी की एक घटना हुई। पूरे वर्ष राज्य की सभी जेलों में कोई आक्रमण का मामला नहीं हुआ। वर्ष भर में बन्दियों द्वारा आपस में 8 झगड़े हुये। पूरे वर्ष में किसी बन्दी ने भूख हड़ताल भी नहीं की।

3. कैलेण्डर वर्ष 2015 के दौरान, कुल 62 बन्दियों को उनकी सजा की रिहाई की शर्तों को पूर्ण करने उपरान्त समय से पूर्व रिहा किया गया। बन्दियों की भलाई तथा पारिवारिक हित को ध्यान में रखते हुए 4411 बन्दियों को पैरोल/फर्लो पर छोड़ा गया।

राम निवास, भा0प्रा0से0

अतिरिक्त मुख्य सचिव, जेल विभाग, हरियाणा।

समालोचना

31-12-2015 तक हरियाणा में 16,718 बन्दियों को रखने का प्रबन्ध था जबकि वर्ष 2015 के अन्त में बन्दियों की संख्या 18,269 थी। इस वर्ष जेल में अधिकृत क्षमता तथा बन्दियों की संख्या का अनुपात काफी संतोषजनक रहा। वर्तमान में हरियाणा राज्य की जेलों में बन्दियों की अधिकृत क्षमता वर्तमान में बन्दियों की गिनती अनुसार पर्याप्त है। पानीपत व रिवाड़ी में 2000 बन्दियों को रखने हेतु नई जिला जेल का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। जिला जेल सोनीपत में महिला वार्ड बनाने का कार्य भी प्रारम्भ किया जा चुका है जहां पर सोनीपत व उसके नजदीक जिलों की महिला बन्दियों को रखा जायेगा।

2. वर्ष 2015-16 में जेलों से फरारी की एक घटना हुई। पूरे वर्ष राज्य की सभी जेलों में कोई आक्रमण का मामला नहीं हुआ। वर्ष भर में बन्दियों द्वारा आपस में 8 झगड़े हुये। पूरे वर्ष में किसी बन्दी ने मूख हडताल भी नहीं की।

3. कैलेण्डर वर्ष 2015 के दौरान, कुल 62 बन्दियों को उनकी सजा की रिहाई की शर्तों को पूर्ण करने उपरान्त समय से पूर्व रिहा किया गया। बन्दियों की भलाई तथा पारिवारिक हित को ध्यान में रखते हुए 4411 बन्दियों को पैरोल/फर्लो पर छोड़ा गया।

राम निवास, भा0प्रा0से0

अतिरिक्त मुख्य सचिव, जेल विभाग, हरियाणा।

अध्याय-1

1. प्रस्तावना :-

जेल विभाग का 1.4.2015 से 31.3.2016 तक का कार्यभार निम्नलिखित के पास रहा :-

1. श्री परमिन्दर राय, आई0पी0एस0, 01.04.2015 से 26.02.2016
2. श्री के0 सैल्वराज, आई0पी0एस0, 18.03.2016 से 31.03.2016

निम्नलिखित अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में उनकी सहायता की:-

1. श्री के0के0 मिश्रा, आई0पी0एस अपर महानिदेशक कारागार हरियाणा।
2. श्री सुधीर चौधरी, आई0पी0एस0 अपर महानिदेशक कारागार हरियाणा।
3. श्री जगजीत सिंह, महानिरीक्षक कारागार
4. श्री रत्न सिंह, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी
5. श्री लखबीर बराड, अधीक्षक, जेल हैडक्वार्टर
6. श्री राकेश मित्तल, वरिष्ठ लेखा अधिकारी।
7. श्री जे0एस0 गिल, सहायक जिला न्यायवादी।
8. श्रीमति नीलम नागी, अधीक्षक
9. श्री ललित कुमार, लेखा अधिकारी

II संस्थायें:-

जेल विभाग के अधीन निम्नलिखित संस्थायें हैं:-

क.	केन्द्रीय जेल अम्बाला, हिसार I एवं हिसार II	03
ख	जिला जेल, रोहतक, करनाल, गुडगांव, भिवानी, सिरसा, जीन्द, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, रिवाड़ी, नारनौल कैथल, यमुनानगर फरीदाबाद, पलवल, पानीपत एवं झज्जर।	16
ग	जेल ट्रेनिंग स्कूल, करनाल	01
घ	जिला परिवीक्षा अधिकारी, सिरसा, भिवानी, करनाल, गुडगांव, अम्बाला, जीन्द, रोहतक एवं हिसार।	08
कुल जोड़		28

III. नई जेलों निर्माणाधीन

जेल में बन्दियों की भीड़ को देखते हुये निम्न जेलों का निर्माण/भूमि अभिग्रहण निम्न प्रकार से है :-

1. पानीपत में नई जिला जेल के निर्माण हेतु 47 एकड़ 6 मरला भूमि गांव सिवाह तहसील व जिला पानीपत में अधिग्रहण की जा चुकी है। इस जेल का निर्माण हरियाणा पुलिस हाउसिंग कोरपोरेशन पंचकुला द्वारा किया जा रहा है। सरकार से इस जेल के निर्माण के लिये 7439.00 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। वित्त वर्ष 2015-16 तक इस कार्य के लिये 2939.80 लाख रुपये पुलिस हाउसिंग कोरपोरेशन को दिये जा चुके हैं। नवीनतम और निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्त वर्ष 2016-17 में इस कार्य के लिये 3500-00 लाख रुपये की आवश्यकता होगी तथा दिसम्बर 2017 में जिला जेल पानीपत का निर्माण कार्य पूर्ण होने का अनुमान है।
2. रिवाड़ी में नई जेल बनाने के लिये गांव फिदेहडी तहसील व जिला रिवाड़ी में 50 एकड़ 2 कनाल 12 मरला भूमि उपलब्ध है। नई जिला जेल निर्माण के लिये 5781.00 रुपये की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उक्त कार्य के लिये राशि 400.00 लाख लोक निर्माण विभाग के पास वित्त वर्ष 2015-16 के लिये पहले से ही प्रावधान था व नई जेल में रिहायशी मकानों का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है व जेल भवन का 30 प्रतिशत व जेल में रिहायशी परिसर का 35 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा मार्च 2018 तक कार्य पूर्ण होने की सम्भावना है।
3. नई मेवात जेल 29 एकड़ 4 कनाल 3 मरला भूमि गांव सलांबा तहसील नूह जिला मेवात में उपलब्ध है। भवन के निर्माण हेतु डाईंग वास्तुकला विभाग ने तैयार करके इस कार्यालय भेज दी है जो कि अभी विचाराधीन है तदोपरांत इस जेल के निर्माण पर खर्च होने वाली राशि के लिये लोक निर्माण विभाग को रफ कास्ट एस्टीमेट भिजवाने के लिये प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी। इस जेल का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है। वित्त वर्ष 2016-17 में इस जेल का निर्माण कार्य भी शुरू करवाने का प्रयास किया जाएगा।
4. नई जिला जेल पलवल के लिये भूमि अभिग्रहण हेतु 65 एकड़ 15 मरला भूमि गांव पलवल तहसील व जिला पलवल में की जा चुकी है तथा भूमि अधिग्रहण की सैक्शन 4 एवं 6 की अधिसूचना सरकार के यादी क्रमांक 31/12/2010-4जेजे 11 दिनांक 1.4.2014 द्वारा जारी की जा चुकी है। भूमि के मालिकों द्वारा भूमि अभिग्रहण न करने बारे रिट पेटिशन नं 18521 आफ

आफ 2014 व 2047 आफ 2015 माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर की है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 8/9/2014 को पारित आदेशों के तहत आगामी आदेशों तक स्टे दे दिया है तथा मामला अभी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशोपरांत ही इस जेल का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

5. पंचकुला जिला में नई जेल के निर्माण हेतु गांव बाढ तहसील कालका जिला पंचकुला में 50 एकड़ भूमि चयन कर ली गई है। नई जेल बनाने के लिये भूमि अभिग्रहण करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है व मामला विचाराधीन है।

6. फतेहाबाद में नये जेल भवन के निर्माण हेतु 64 एकड़ 2 करनाल 19 मरला भूमि गांव घांगड तहसील व जिला फतेहाबाद में अभिग्रहण करने हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है व मामला विचाराधीन है।

7. डबवाली में एक आधुनिक बहुमंजिला जेल बनाने की योजना है। विभाग के पास गांव डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा में 03 एकड़ 05 कनाल 06 मरला भूमि उपलब्ध है। परन्तु इसमें उक्त कारागार बनाने में जगह की कमी आड़े आ रही है। जमीन की कमी को पूरा करने के लिये इस जमीन के साथ लगती 2 एकड़ 19 मरला भूमि, जो कि स्थानीय ग्राम पंचायत व राज्य सरकार के आधीन है, को एक आधुनिक जेल बनाने हेतु प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया चल रही है।

8. जिला जेल सोनीपत में महिला बैरक का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके निर्माण उपरांत जिला सोनीपत व साथ लगते जिलों की महिलाओं को जिला जेल सोनीपत के महिला विंग में परिरुद्ध किया जा सकेगा। इसका निर्माण कार्य अक्टूबर 2016 तक पूरा किए जाने की सम्भावना है।

9. कुछ जिलों की जेलों में क्षमता से अधिक भीड़ को समायोजित करने हेतु उन जेलों के विस्तार एवं अतिरिक्त बैरक बनाये जाने की प्रक्रिया भी चल रही है। जैसे केन्द्रीय जेल, अम्बाला, हिसार-II, जिला जेल, भिवानी, जीन्द, सिरसा, सोनीपत आदि।

10. कुछ जेलों पर रिहायशी मकानों की कमी है वहां पर भी अतिरिक्त रिहायशी मकान बनाये जाने की प्रक्रिया चल रही है जैसे केन्द्रीय जेल, हिसार-I व हिसार-II, जिला जेल, भिवानी, कुरुक्षेत्र आदि।

11. जिला जेल महेन्द्रगढ़ की पुरानी भूमि का उचित प्रयोग करने हेतु मामला विभाग में विचाराधीन है।

IV. सुधार तथा सुविधायें:-

वर्ष 2015-16 में जेलों में किए गए सुधार तथा सुविधाएं संतोषजनक रही। बन्दियों के साथ अच्छा तथा सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया गया जिसका उन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा।

क. पैरोल/फरलो :-

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बन्दियों को निजी तथा जरूरी कार्यों के लिए पैरोल/फरलो लेने के लिए देरी न हो तथा कष्ट न उठाना पड़े, इस प्रणाली में बहुत हद तक सुधार किया गया है। अब केवल पहली छुट्टी के लिए ही पुलिस की रिपोर्ट ली जाती है। पैरोल/फरलो स्वीकृत करने की शक्तियां सरकार की नोटिफिकेशन दिनांक 30.7.2007 के अनुसार मण्डल आयुक्त एवं उपायुक्त को प्रदान कर दी गई थी। दिनांक 1.10.2012 को पैरोल एक्ट में संशोधन किया गया। कैदियों को ज्यादा सुविधा प्रदान करने के लिये पैरोल अधिनियम में दिनांक 21.2.2014 व 18.9.2015 को संशोधन किये गये। वर्ष 2015 में कुल 4411 कैदी बन्दियों को पैरोल/फरलो पर रिहा किया गया।

ख. समय पूर्व रिहाई :-

हरियाणा सरकार ने आजीवन कारावास बन्दियों की समय पूर्व रिहाई करने बारे नीति को अपने यादी क्रमांक 46/23/2000-4जेजे-11 दिनांक 12.04.02 द्वारा संशोधित किया था। इस नीति के अनुसार अनेक आजीवन कारावास बन्दियों के समय पूर्व रिहाई के केसों पर उन द्वारा जेल में 10 वर्ष का मूलदण्ड काटना तथा कम से कम 4 वर्ष की छूट प्राप्त करने के पश्चात विचार किया जाता था। जिन बन्दियों द्वारा जघन्य/घिनौना अपराध किया तथा जिन बन्दियों की मृत्यु दण्ड की सजा को माननीय राष्ट्रपति महोदय/माननीय राज्यपाल द्वारा करुणा याचिका पर आजीवन कारावास में बदला गया है, के समय पूर्व रिहाई के केसों पर उन द्वारा जेल में 14 वर्ष का मूलदण्ड काटने तथा कम से कम छः वर्ष की छूट प्राप्त करने के पश्चात विचार किया जाता था। हरियाणा सरकार ने आजीवन कारावास बन्दियों की समय पूर्व रिहाई करने बारे पुरानी नीति दिनांक 12.4.2002 को अपने यादी क्रमांक 36/135/91-1जेजे-11 दिनांक 13.08.08 द्वारा नई नीति का निर्धारण किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा हरियाणा सरकार बनाम जगदीश की रिट पेटिशन में पारित आदेश 22.3.2010 जोकि किमिनल अपील नम्बर 566 आफ 2010 (Arising out of SLP) CrI. Mic. No. 6638 of 2009 में पारित को ध्यान में रखते हुये बन्दियों के समयपूर्व रिहाई के केसिज का निर्णय लेने हेतु उनकी सजा की तिथी के समय से जो पालिसी लागू होती है,

उस बन्दी का समयपूर्व रिहाई केस उस पालिसी के अनुसार निर्णय लिया जाए के आदेश पारित किये गये थे। सर्वोच्च न्यायालय ने WP(crl.)No. 48 @2014 "Union of India Vs.V. Sriharan Murugan & Ors." में दिये गये आदेश दिनांक 9.7.2014 के अन्तर्गत ऐसी रिहाहियों पर रोक लगा दी गई है थी। इसी मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23/7/2015 को आजीवन कारावास बन्दियों की समय पूर्व रिहाई पर लगी रोक हटा दी गई जिस उपरांत वर्ष 2015 में 62 आजीवन कारावास बन्दियों को उनके अच्छे आचरण को देखते हुये सरकार की सम्बन्धित पालिसी अनुसार समय पूर्व रिहा किया गया।

ग कैदियों की बदली :-

कई कैदियों के रिश्तेदारों तथा मित्रों को मुलाकात करने में वित्तीय तथा सामाजिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था, इसको ध्यान में रखते हुए अब कैदियों को जहां तक सम्भव हो उनके घर के नजदीक की जेलों में रखा जाता है, ताकि उनके परिवार वाले तथा मित्रों को कैदियों से मिलने में कठिनाई ना हो।

घ विडियों कान्फेसिंग

19 जेलों के साथ विभिन्न न्यायालयों के साथ विडियो कान्फेसिंग सुविधा चल रही है। बन्दियों की पेशी विडियो कान्फेसिंग द्वारा भी करवाई गई है। जेल रिफार्मस कमेटी की सिफारिशों अनुसार दिनांक 15.1.2011 से बन्दियों के रिश्तेदारों जोकि राज्य की अन्य जेल में बन्द है, की मुलाकात आपस में विडियो कान्फेसिंग सुविधा से करने की अनुमति दी जा चुकी है। माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय जेल अम्बाला, हिसार-I, जिला जेल करनाल, गुडगावां, भिवानी, सिरसा, नारनौल, यमुनानगर, पलवल व पानीपत में सौफ्टवेयर वीडियो कान्फेसिंग सुविधा हेतु लगाये हैं।

च. कैन्टीन :-

केन्द्रीय तथा जिला जेल बन्दियों के लिए कैन्टीन चालू हैं। बंदीगण वहां से उचित दामों पर प्रतिदिन काम में आने वाली वस्तुएं जैसे चीनी, चाय, गुड़ घी, साबुन, तेल, बिस्कूट, धूप, दूध, अडरवीयर, बनियान, कोल्ड ड्रिन्क, जूते, चप्पल, नमकीन, देसी घी, आचार, प्याज, दंत बुश, दंत पेंस्ट, इत्यादि आदि खरीद सकते हैं। इस सुविधा से जेलों में अनधिकृत वस्तुओं पर नियन्त्रण रहा है और यह कैन्टीन जेल कैन्टीन मैनेजमेंट, नियम 1965 के तहत चल रही है। दिनांक 1/4/2015 से सभी जेलों में नये सौफ्टवेयर के

साथ कैश लैस कैंटीन की सुविधा प्रारम्भ करने हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। जेल कैंटीन से वर्ष 2015-2016 में 97,07,784/- रुपये का लाभ हुआ जो पैसा बन्दियों के कल्याण हेतु खर्च किया जाता है। पिछले वित्तीय वर्ष 2014-15 में जेल कैंटीन से 45,59,843/- रुपये का लाभ हुआ जोकि इस वर्ष कुल रुपये 51,47,941/- रुपये के लाभ में वृद्धि हुई। कैंटीन की बचत से ही बन्दियों हेतु नया फौनिक्स सॉफ्टवेयर चालू किया गया है। वार्षिक रखरखाव का खर्चा भी कैंटीन फण्ड से ही वहन किया जाता है।

छ बन्दी पंचायतें :-

भिन्न-2 कारागारों में बन्दियों द्वारा नियुक्त की गई पंचायतों ने राशन, भोजन वितरण, कैंटीन प्रबन्धन, खेल एवं सांस्कृतिक कार्या आदि में अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग दिया।

ज माफी :-

जिन बन्दियों ने उत्कृष्ट कार्य किया है तथा जिनका आचरण संतोषजनक पाया गया उन्हें अधीक्षक जेल, महानिदेशक कारागार, राज्य सरकार व महामहिम राज्यपाल द्वारा विशेष माफी प्रदान की गई:-

क्र०	दिनांक	प्रदान की गई विशेष माफी	उपलक्ष्य
1.	12/5/2015	तीन माह तक	माननीय मुख्य मन्त्री महोदय जी द्वारा जिला जेल गुरुग्राम के निरीक्षण के अवसर पर।
2.	1/6/2015	15 दिन	महानिदेशक कारागार हरियाणा द्वारा।
3.	15/8/2015	दो माह तक	स्वतन्त्रता दिवस के उपलक्ष्य में।
4.	1/11/2015	दो माह तक	हरियाणा दिवस की स्थापना के उपलक्ष्य में।
5.	26/1/2016	दो माह तक	गणतन्त्र दिवस के उपलक्ष्य में।

झ पंखे :-

बन्दियों को बैरकों में छत वाले पंखें लगे हुए हैं ताकि गर्मी के मौसम में बन्दी बैरको में आराम से रह सके ।

ण पानी की व्यवस्था:-

बन्दियों के लिये जेलों में स्वच्छ जल की व्यवस्था की गई। बन्दियों को स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने हेतु आर0औ0 सिस्टम एवं वाटर कूलर उपलब्ध करवाये गये हैं। कुल मिलाकर पीने के पानी का प्रबन्ध संतोषजनक रहा।

त गन्दे पानी का निकास :-

सभी जेलों में मल निकासी की उचित व्यवस्था उपलब्ध है और भी जेलों में बन्दियों हेतु देसी व यूरोपियन शौचालय सीटे लगाई गई है व सभी शौचालयों में टाइलस व एक्जोहट फैन की भी व्यवस्था है। अतः इसका प्रबन्ध संतोषजनक रहा।

थ बन्दियों का मनोरंजन :-

बन्दियों के मनोरंजन के लिए जेलों में टेलिविजन सैट उपलब्ध है जिनसे दूरदर्शन व डी0टी0एच0 के कार्यक्रम देखे जा सकते हैं। किशोर बन्दियों के मनोरंजन के लिए ड्रामों, हास्य नाटकों तथा रंगा-रंग कार्यक्रमों में ड्रामेटिक क्लब द्वारा प्रबन्ध किया जाता है। वर्ष 2015 में जेल अधिकारियों और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा 614 व्याख्यान, 23 ड्रामें तथा 169 रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किये गये। इसके अलावा जेलों में लाइब्रेरी की सुविधा भी उपलब्ध है जिसमें बन्दियों को पढ़ने हेतु अखबार व मैगजीन उपलब्ध करवाये जाते हैं इससे उनके दैनिक विषयों पर ज्ञान बढ़ता है।

4. भौतिक, शारिरिक तथा नैतिक शिक्षा का प्रबन्ध:-

भौतिक तथा नैतिक सुधार के लिए भिन्न-2 कारागारों में कई प्रकार के कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। जैसे कि खेल, सामाजिक, नैतिक तथा धार्मिक विषयों पर व्याख्यान, प्रातःकाल योग तथा सांय काल की प्रार्थना नियमित रूप से करवायी जाती है। साथ ही वालीबाल, कबड्डी आदि क्रीडाओं का भी प्रबन्ध है। नैतिक विचारों पर जैसे सत्य, अहिंसा, परिश्रम, परस्पर सहयोग, आदि विषयों पर स्टाफ तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा व्याख्यानो का प्रबन्ध किया जाता है।

V. वार्डर गार्द:-

वार्डर गार्द के हर प्रकार की व्यवस्था एवं प्रबन्धन हेतु हैडक्वार्टर मुख्य कार्यालय महानिदेशक कारागार हरियाणा, पंचकुला में स्थित है। वार्डर गार्द की अधिकृत सख्या निम्न प्रकार है:-

पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
हैड वार्डर	255	246	09
वार्डर	2368	2031	337
मैट्रन	48		48
महिला वार्डर	138	129	09

VI. जेल निरीक्षण :-

वर्ष 2015 में विभिन्न जेलों के निरीक्षण का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

❖	स्वास्थ्य अधिकारी	926
❖	कार्यकारी अधिकारी	145
❖	जूडिशियल अधिकारी	836
❖	अन्य	130

VII. चौकसी से सम्बन्धित तथ्यों बारे :-

चौकसी विभाग की ओर से वर्ष 2015-16 में किसी अधिकारी/कर्मचारी को कोई सजा नहीं दी गई।

अध्याय -2

उद्योग

- I. वित्त वर्ष 2015-16 में कुल उत्पादन रुपये 51,30,655/- रुपये का हुआ एवं वित्त वर्ष 2014-15 में कुल उत्पादन 48,23,997/- रुपये का रहा जो पिछले वित्त वर्ष से 3,47,379/- रुपये की बढ़ोतरी हुई।

कृषि फार्म

वर्ष 2015-2016 में जेल कृषि फार्म को ठेके पर दिया गया जिससे रुपये 17,83,199/- का लाभ हुआ।

- II. निम्नलिखित विवरण रिपोर्ट में निम्नलिखित जेलों की कैण्टीन की बिक्री का ब्यौरा :-

NAME OF JAIL	CANTEEN	
	SALE	PROFIT
CJ AMB	57,02,192	5,70,219
CJ HISAR-1	66,17,110	4,70,220
CJ HISAR-2	13,53,436	99,484
DJ BHIWANI	57,96,203	4,98,556
DJ PALWAL	0	0
DJ KAITHAL	11,70,392	1,21,046
DJ ROHTAK	97,16,450	7,09,624
DJ SONEPAT	1,01,67,854	9,76,270
DJ SIRSA	40,74,948	3,69,478
DJ KARNAL	1,40,97,815	18,61,210
DJ KKR	26,21,210	2,85,442
DJ REWARI	85,077	10,655

DJ GGN	2,73,58,851	14,49,962
DJ YNR	34,46,671	3,50,520
DJ JIND	31,64,173	1,90,103
DJ>NNL	22,84,130	1,14,153
DJ PPT	0	0
DJ FBD	86,56,687	12,41,735
DJ JJR	52,91,659	3,89,107
TOTAL	11,16,04,858	97,07,784

III. कपड़ा :-

हरियाणा राज्य की जेलों में बन्दियों के लिए कपड़े की मांग को पूरा करने के लिए केन्द्रीय जेल अम्बाला में एक पावरलूम (हैवी ड्यूटी) स्थापित है जो कि संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है। जिला जेल भिवानी पर भी दो पावर लूम स्थापित हैं जिन पर बन्दियों हेतु कपड़ा बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मशीनों के झांडन/बस्ते/कार्यालय के लिए पर्दे/तौलिये/हस्पताल के लिए बिस्तरे भी बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार बन्दियों के लिए इन मशीनों से उपरोक्त वस्तुओं की मांग सूचारु रूप से पूरी की जा रही है। इस प्रकार जहां बन्दी अपनी सजा काटते हुए विभिन्न ट्रेडों में ट्रेनिंग लेकर पूरी तरह निपुण होकर जेल से बाहर जायेंगे, वहां ये आत्म निर्भर बनकर समाज के अन्दर एक अच्छा जीवन जी सकने योग्य बन जायेंगे। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

अध्याय -3

VIII. जेल ट्रेनिंग स्कूल करनाल

करनाल स्थित जेल ट्रेनिंग स्कूल में हरियाणा जेल विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का प्रबन्ध है। कैलेण्डर वर्ष 2015 में इस स्कूल में 1403 वार्डर तथा हैड वार्डरों के साथ-2 सहायक अधीक्षक व उप सहायक अधीक्षक के स्तर तक के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस संस्था में जेल मैनुअल, कारागार प्रशासन, कानून, क्रिमिनोलोजी, साइकोलोजी, शारीरिक प्रशिक्षण, ड्रिल, तथा कैदियों के सुधार तथा उद्योग-धन्धों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध है। प्रशिक्षण में कैदियों में सुधार के साथ-2 अभ्यस्थ और खतरनाक कैदियों के सुधार करने के उपायों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है।

हरियाणा राज्य के जेल अधिकारी तथा कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी अधिक कुशलता से निभा सकें, इसलिये उन्हें अन्य संस्थानों पर भी प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

2. महिला बन्दियों हेतु जेलों में व्यवस्था:-

हरियाणा में 1976 में महिला बन्दियों हेतु कोई अलग कारागार नहीं थी और उन्हें केन्द्रीय जेल अम्बाला में ही एक अलग वार्ड में रखा जाता था। यह प्रबन्ध पूरी तरह से संतोषजनक नहीं था। इसके लिए वर्ष 1976 में हिसार में एक महिला जेल भवन निर्माण किया गया और उनकी सुरक्षा, प्रबन्धन एवं देखभाल हेतु अधीक्षक, उप अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, महिला मुख्य प्रहरी व महिला प्रहरी भी नियुक्त किये गये। परंतु यह प्रयास सफल नहीं हो पाया क्योंकि इस प्रकार सभी महिला बन्दी अपने परिवारों से काफी दूर हिसार में ही बन्द हो जाती थी। एक ही अभियोग में अभियुक्त होने पर महिला बन्दी हिसार में होती थी और उसके रिश्तेदार बन्दी हरियाणा की अलग अलग जेलों में होते थे। अदालतों में पेश करने के लिये लम्बा सफर तय करना पड़ता था। वर्तमान में महिला बन्दियों को अधिक सुविधाएँ प्रदान करने व उन्हें सुरक्षित बन्द रखने के साथ साथ पढाई एवं कौशल कार्यों में निपुण एवं सक्षम बनाने हेतु लगभग सभी जेलों में पूर्ण महिला वार्ड बनाये गये हैं और नई बन रही जेलों में भी पूर्ण सुविधायुक्त एवं सुरक्षित महिला वार्डों का निर्माण किया जा रहा है।

वर्ष 2015 में जेल में हुई बन्द महिला बन्दियों की संख्या का विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है:-

1.1.2015 को कुल महिला बन्धियों की संख्या	वर्ष भर में सीधे या बदली द्वारा जेल में आये महिला बन्धियों की संख्या	वर्ष भर में रिहा की गई महिला बन्धियों की संख्या	31.12.2015 को कुल महिला बन्धियों की संख्या
784	1628	1689	723

कैलेण्डर वर्ष 2015 में हरियाणा की सभी जेलों में सभी प्रकार की औरतों की दैनिक अधिकतम संख्या 827 रही है। महिला बन्धियों के लिये जेलों में उनकी पढाई हेतु इग्नू केन्द्रों की स्थापना करने के साथ साथ उन्हें व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई है।

3. छोटे बच्चों का ब्यौरा :-

छः वर्ष की आयु तक के बच्चों को जेलो में अपनी मां, दादी व नानी के साथ रखने का प्रावधान है। इन बच्चों को विशेष भोजन, खेल, मनोरंजन, पढ़ाई एवं स्वास्थ्य सेवाओं का पूर्ण प्रबन्ध है। हरियाणा की सभी जेलो में 31/12/2015 को 46 बच्चे बन्द थे।

अध्याय -4

IX- बंदी संख्या :-

हरियाणा की जेलों में बन्दियों की संख्या 31-12-2014 को 18,642 थी और यह संख्या 31.12.2015 को 18269 हो गई।

2. बन्दियों का प्रवेश तथा निकास

क. कैदियों की संख्या 1.1.2015 को 7,517 थी। वर्ष भर 5,712 सिद्धदोषियों को न्यायालयों से सजा मिलने पर या दूसरे स्थानों से बदलकर हरियाणा राज्य की जेलों में आये और 5,449 बन्दियों की रिहाई के बाद 31.12.2015 को कुल 7,780 सिद्धदोषी जेल में शेष रहे।

ख. बन्दियों की औसत दैनिक संख्या 1.1.2015 से 31.12.2015 तक 18,643 रही थी। सभी प्रकार के बन्दियों की अधिकतम संख्या 18,942 थी।

घ नजरबंद :- पूरे वर्ष में कोई दोषी नजरबंद नहीं रहा।

3. धर्म, आयु तथा पिछले व्यवसाय :-

वर्ष के अन्त में सिद्ध दोषियों का धर्म, आयु, तथा शिक्षा और पिछले व्यवसाय के अनुसार ब्यौरा इस प्रकार है:-

तालिका -1		
धर्म	बन्दियों की संख्या	प्रतिशत
ईसाई	54	0.30
मुसलमान	1614	8.83
हिन्दु तथा सिख	16477	90.19
बौध तथा जैन	—	—
दूसरे अन्य धर्म	124	0.68
कुल	18269	100

तालिका-2		
अवस्था	बन्दियों की संख्या	प्रतिशत
16 साल से 18 तक	—	—
18 से 30	9200	50.35
30 से 50	7060	38.65
50 से उपर	2009	11.00
कुल	18269	100

4 शिक्षा :-		
शिक्षा	कैदियों की संख्या	प्रतिशत
अशिक्षित	4335	23.72
शिक्षित	13934	76.28
.....		
क. दसवी से नीचे	6966	
ख. दसवी से स्नातक	5035	
ग. स्नातक	1200	
घ. स्नातकोर	248	
ड. तकनीकी डिग्री/डिप्लोमा	485	
कुल	18269	100

5. दण्ड की अवधि	कैदियों की संख्या	प्रतिशत
मृत्यु दण्डित	10	0.12
आजीवन कारावास	3982	51.20
10 वर्ष से 13 वर्ष तक	1428	18.35
7 वर्ष से 9 वर्ष तक	1085	13.94
5 वर्ष से 6 वर्ष तक	388	04.99
2 वर्ष से 4 वर्ष	390	05.01
1वर्ष से 2 वर्ष	246	03.17
6 महीने से कम	123	01.58
3 माह से 6 माह तक	46	0.59
3 महीने से कम	82	01.05
कुल जोड़	7780	100

6. अभ्यस्थ बन्दी(हैबीच्यूल प्रीजनर)

वर्ष के अन्त में 7780 कैदियों में 36 अभ्यस्थ बन्दी थे।

7. विचाराधीन बन्दी :-

विचाराधीन बन्दियों की संख्या 31.12.2015 को 11,124 थी। वर्ष भर में 48,862 ओर विचाराधीन बन्दी प्रवेश हुए। इस वर्ष 49,497 बन्दियों को छोड़ा गया ऐसे बन्दियों की वर्ष के अन्त में संख्या 10,489 थी।

8. बंदियों का स्वास्थ्य

बंदियों का सामान्य स्वास्थ्य वर्ष भर में संतोषजनक रहा। बंदियों का स्वास्थ्य स्तर ठीक प्रकार से बनाए रखने के लिये विशेष प्रयास किये गये व मच्छर मखियों की रोकथाम के लिये दवाईयों का छिड़काव किया गया। स्नानघर, शौचालय तथा भोजनालय के आसपास की सफाई का विशेष ध्यान रखा गया।

तपेदिक के बन्दियों की चिकित्सा का उचित प्रबन्ध किया गया और डी0औ0टी0 स्कीम के अन्तर्गत सभी बन्दियों को इलाज प्रदान किया गया।

9. स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना :-

29,260 बंदी वर्ष भर 01.01.2015 से 31.12.2016 तक मैडिकल सुविधा हेतु जेल से बाहर में अस्पताल भेजे गए।

जेल विभाग में स्वास्थ्य विभाग के स्वीकृत पदों जैसे डाक्टर/फार्मासिस्ट इत्यादि के पद भरे नहीं हुये थे। चिकित्सा अधिकारीयों का मनोबल उचां करने के लिये विभाग द्वारा चिकित्सा अधिकारी के पदों को अनुबन्ध आधार पर भरने हेतु प्रक्रिया शुरू की तथा सरकार ने नये डाक्टर एवं सेवानिवृत्त डाक्टरों को जेल विभाग में अनुबन्ध आधार पर नियुक्त करने के लिये एवं उनका मानदेय 30000+5000 conveyance charges से बढ़ाकर 45000 + 5000 conveyance कर दिया।

अध्याय - 5

उद्धार प्रभार :-

सदाचार बन्धियों को परिवीक्षा अधीन रिहाई के अधिनियम-1958

1. विभाग का कार्यक्रम :-

विभाग का कार्यभार भी वर्ष 2015-16 में श्री परमिन्द्र राय, आई0पी0एस0 व श्री के0सैल्वराज, आईपी0एस0, श्री के0के0 मिश्रा, आई0पी0एस0 अपर महानिदेशक कारागार हरियाणा, श्री सुधीर चौधरी, आई0पी0एस0 अपर महानिदेशक कारागार, श्री जगजीत सिंह, महानिरीक्षक कारागार, श्री रतन सिंह मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, श्री लखबीर बराड, अधीक्षक हैडक्वार्टर जेल मुख्यालय, श्री राकेश मित्तल, मुख्य लेखा अधिकारी, श्री जे0एस0 गिल, सहायक जिला न्यायवादी, श्रीमति नीलम नागी, अधीक्षक, श्री ललित कुमार, लेखा अधिकारी के पास रहा।

भाग-1

पंजाब अभ्यासिक दोषी, (नियन्त्रण एवं सुधार) अधिनियम-1958 के अन्तर्गत वर्ष भर में कोई व्यक्ति नहीं पकड़ा गया।

भाग-11

परिवीक्षा अधिनियम 1958 :-

इस अधिनियम के आकस्मिक दोषियों का खासतौर पर नौजवानों को बिना जेल आदि संस्था में रखे सुधार का प्रबन्ध है। परिवीक्षा अधिकारी दोषी के घर मामले की पृष्ठभूमि आदि की रिपोर्ट द्वारा न्यायालयों की सहायता करते हैं। इसके साथ ही परिवीक्षा अधीन व्यक्ति की देखभाल करते हैं जिससे उनको अपराधी जीवन से दूर रखा जा सकता है। यह अधिनियम अब पूर्ण हरियाणा राज्य में लागू है। इस अधिनियम के कार्य का ब्यौरा सारणी न0 1 व 2 में संलग्न है।

सारणी न0 - 1

वर्ष भर में जिला परिवीक्षा अधिकारियों में 239 सामाजिक जांच रिपोर्ट न्यायालयों में भेजी। कुल मिलाकर 106 व्यक्तियों को परिवीक्षण के लिए छोड़ा गया। विभिन्न जिला परिवीक्षा अधिकारियों की देख-भाल से 31.03.2016 को 60 परिवीक्षा अधीन व्यक्ति थे। इन से पहले छोड़े गए परिवीक्षा अधीन व्यक्ति शामिल हैं। परिवीक्षा अधिकारियों ने कुल मिलाकर 397 निरीक्षण किए।

सामान्य

रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों तथा तथ्यों से स्पष्ट है कि कुल मिलाकर विभाग में प्रशासन का कार्य संतोषजनक रहा। बन्दियों द्वारा तथा कर्मचारियों में अनुशासन का स्तर भी संतोषजनक रहा। बन्दियों के कल्याण कार्य में भी प्रगति हुई।

2. वर्ष 2015-16 में विभिन्न उद्योगों से रुपये 51,30,655/- रुपये का उत्पादन हुआ।

आकड़ों के मध्यनजर निम्नलिखित सूचना निम्न प्रकार से है :-

- क. 18 से 30 वर्ष की आयु के अपराधियों की संख्या 50.35 प्रतिशत हो गई।
- ख. जेलों में प्रविष्ट होने वाले व्यक्तियों में पढ़े-लिखों की संख्या 76.28 प्रतिशत रही।
- ग. एक वर्ष से 2 वर्ष तक सजा पात्र बन्दियों संख्या 03.17 प्रतिशत हो गई क्यों कि थोड़ी अवधि वालों को विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता इसलिये यथा समय थोड़ी अवधि की सजा के स्थान पर प्रोबेशन आदि को प्रोत्साहन मिलना चाहिए।
- घ. 10 वर्ष से 13 वर्ष तक दण्डित बन्दियों की संख्या 18.35 प्रतिशत रही।
- ङ. लगभग 82.51 प्रतिशत विचाराधीन बंदी छोड़े गये। विचाराधीन बन्दियों की अधिक संख्या तथा जेलों में उपलब्ध स्थान को देखते हुए जमानत प्रावधानों पर सरकार द्वारा पुनः विचार की आवश्यकता है। जिससे लघु अपराध में विचाराधीन बन्दियों को जमानत पर न्यायालय द्वारा छोड़ा जा सके जोकि जेल की जनसंख्या को भी सीमित रखने में सहायक होगा।

बन्दियों की शिक्षा, पुनर्वास एवं समाज में पुनर्स्थापन बारे

माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 355 आफ 2014 Kaushal V/s State of Haryana में दिनांक 24.3.2014 को पारित आदेशों की पालना में बन्दियों को शिक्षा के सम्बन्ध में हरियाणा की सभी जेलों में, जिला जेल रिवाड़ी, पानीपत व पलवल को छोड़कर, राष्ट्रीय खुला विधालय संस्थान

व इन्दिरा गांधी ओपन विश्वविद्यालय स्थापित है जहां बन्दीगण दसवी 10 जमा दौ तथा अन्य उच्चतर शिक्षा प्राप्त करते हैं ताकि रिहाई के बाद बन्दियों को रोजगार के अवसर मिल सके।

बन्दियों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु तकनीकी विभाग की सहायता से पलवल पानीपत व रिवाड़ी को छोड़कर राज्य की सभी जेलों में पौलटेक्निक सेंटर स्थापित किये हुए हैं जहां बन्दीगण कम्प्यूटर टेनिंग, मोटर रिपेयर एवं बिजली और घरेलू उपकरणों के यंत्र रिपेयर करने व सिलाई कढ़ाई के शिल्प में प्रशिक्षण दिया जाता है।

व्यवसायिक शिक्षा प्रोग्राम :- वोकेशनल सेंटर फरीदाबाद, करनाल, गुडगांव और सिरसा जेल में खुला हुआ है जिन में विभिन्न प्रकार के कोर्सिस जैसे कारपेटर, बेकरी/कान्फैक्शरी, वैल्विंग टेक्नोलोजी, प्लम्बिंग, कटिंग, सिलाई, टी0वी0 रिपेयर, लाईब्रेरी विज्ञान, योगा, कम्प्यूटर डाटा इन्द्राज आपरेटर इत्यादि।

बन्दियों के कल्याणार्थ

1. दूरभाष सुविधा बन्दियों को उनके परिवार जनों के साथ सुख दुख सांझा करने के लिये दी गई है। अतः बन्दियों के कल्याण हेतु दूरभाष सुविधा का शुभारम्भ किया गया। इस सुविधा से बन्दियों के परिजनो के उनके खर्च में कटौती एवं लम्बी दूरी तय करने के समय को बचाया जा सकेगा। अब सरकार ने इस सुविधा की अवधि 10 मिनट से बढ़ाकर 35 मिनट प्रति सप्ताह तक कर दी है। महिलाओं के लिये यह सुविधा 60 मिनट प्रति सप्ताह कर दी गई है।
2. जिला जेल करनाल व जिला जेल सिरसा में बन्दियों के लिये ब्रेड बन बनाने के लिये बेकरी यूनिट स्थापित की जा चुकी है।
3. बन्दियों को उनकी कार्य कुशलता एवं योग्यता के अनुसार मुशक्कत लगाई जाती है और बन्दियों को मिलने वाली वेजिज को सीधे तौर पर राष्ट्रीयकृत बैंको में खोले गये उनके निजी खातों में राशि जमा करवा दी जाती है। दिनांक 31.3.2015 तक सभी बन्दियों को वेजिस दी जा चुकी है। बन्दियों की वेजिस की वर्तमान दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव भी सरकार के पास विचाराधीन है।
4. बन्दियों के कल्याण हेतु बेहतर सुविधा वाले आधुनिक सुविधाओं से लैस मुलाकात कक्ष पलवल/रिवाड़ी एवं पानीपत को छोड़कर अन्य सभी जेलों पर बनाने हेतु स्वीकृति कुल रुपये 4 करोड 70 लाख

70 हजार सरकार के यादी क्रमांक 31/4/13/4 जेजे ।। दिनांक 18.12.2013 द्वारा प्राप्त हो चुकी है इस समय लगभग सभी जेलों में आधुनिक सुविधाओं से लैस मुलाकात कक्ष स्थापित किये जा चुके हैं।

5. सरकार से अनुमोदन उपरान्त जेलों में बन्दियों की भलाई एवं उनके लिये व्यवसाय स्थापित करने के लिये Public Private Partnership Project शुरू किये गये जिसमें सरकार का कोई व्यय नहीं होगा। इस योजना का सरकार के यादी क्रमांक 31/77/7-4 जेजे ।। दिनांक 09.12.2013 अनुमोदन प्राप्त हुआ है। इस समय कुछ जेलों में यह सुविधा आरम्भ हो चुकी है। वर्तमान में जिला जेल करनाल में प्लास्टिक वाशरस व डोर मैट का निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा जिला जेल यमुना नगर में इंटरलॉकिंग टाइलस बनाने तथा केन्द्रीय जेल अम्बाला में फर्नीचर बनाने का कार्य किया जा रहा है। आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस भी केन्द्रीय जेल अम्बाला में वर्ष 2014 में स्थापित की जा चुकी है।

स्टाफ के कल्याणार्थ

1. सरकार ने कर्मचारियों का नैतिक मनोबल बनाये रखने हेतु सभी कार्यकारी स्टाफ का जोखिम भत्ता पुलिस विभाग की तर्ज पर 5000/- प्रतिमास मिल रहा है।
2. विभाग में इस समय अनुबन्ध आधार पर नये डाक्टर एवं सेवानिवृत्त डाक्टरों को नियुक्त करने के लिये एवं उनका मानदेय 30000 + 5000 conveyance charges से बढ़ाकर 45000+ 5000 conveyance कर दिया गया है।
3. विभाग के वार्डर स्टाफ के कर्मचारियों का हैडक्वार्टर कार्यालय महानिदेशक कारागार हरियाणा के कार्यालय में स्थापित कर दिया गया है ताकि कर्मचारियों को कम से कम समस्या का सामना करना पड़े तथा प्रशासनिक सुविधा भी हो।
4. विभाग में रिक्त पड़े सभी पदों को भरने हेतु सभी सम्बन्धित को मांग पत्र (Requisition) भेजी जा चुकी है और इन रिक्तियों को भरने के सकरात्मक प्रयत्न किये जा रहे हैं।
5. स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत स्वच्छ हरियाणा जेल अभियान आरम्भ किया गया है।

6. जिला जेल गुडगावां में सुरक्षा की दृष्टि से सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाया गया है। इसके अलावा अन्य सभी जेलों पर भी सवेदनशील स्थानों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये गये हैं।
7. श्रीमती किरण बेदी (सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा) द्वारा संचालित प्रसिद्ध एन0जी0ओ0 "इंडिया वीजन फाउंडेशन" ने जिला जेल गुडगावां में सभी जेल अधिकारियों के लिये चार खण्डों में प्रशिक्षण आयोजित किया जिसमें सभी जेल अधिकारियों ने भाग लिया।
8. जेलों में उचित, सृष्टि व प्रभावशाली व्यवस्था बनाये रखने हेतु फौनेक्स सोफ्टवेयर गुडगावां जेल में परिरुध निर्वतमान बन्दी द्वारा तैयार किया गया है जिसे भारत सरकार, गृह विभाग ने सराहा है और अनुमोदन प्रदान करने उपरान्त इसे सभी जेलों में लागू किया जा रहा है।

यशपाल सिंगल, आई0पी0एस0
महानिदेशक कारागार, हरियाणा।

सारणी-1

परिवीक्षा अपराध अधिनियम 1958 के अधीन परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की वार्षिक रिपोर्ट
2015-16 के दौरान निरीक्षण में रखे गये परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की संख्या

2015-16 के दौरान निरीक्षण												
क्र. सं.	जिले	प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट वर्ष 2015-16 के दौरान न्यायालयों को भेजे गये।	वर्ष 2015-16 के शुरू होने पर परिवीक्षा-धीन व्यक्ति	ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनको परिवीक्षा-धीन रखा गया		ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनकी परिवीक्षा-धीन अवधि को समाप्त कर दिया गया	ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनकी परिवीक्षा-धीन अवधि ठीक प्रकार समाप्त हुई	जिनहोने परिवीक्षा नियमों का उल्लंघन किया	दूसरे राज्यों व जिला परिवीक्षा अधिकारी को भेजे गये की संख्या	कुल निकले	31.03.16 के अन्त में परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की संख्या	जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया
1	2	3	4	5 क	5 ख	6	7	8	9	10	11	12
1.	अम्बाला	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—
2.	हिसार	1	2	2	—	2	0	0	0	2	2	16
3.	रोहतक	12	18	78	—	64	64	—	0	64	32	42

4.	करनाल	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	सिरसा	—	3	18	—	3	3	—	—	3	18	—
6.	जीन्द	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	गुडगांव	212	14	7	—	—	13	—	—	13	8	339
8.	भिवानी	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल	339	37	106	—	70	81	—	0	83	60	397

30.12-18

परिवीक्षा अपराध अधिनियम 1958 के अधीन परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की वार्षिक रिपोर्ट

सारणी-5

सारणी-2

परिवीक्षा अपराधी अधिनियम 1958 के अधीन व्यक्तियों की रिहाई वार्षिक विवरण पत्र
2015-16

क्र० स०	जिला	परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के अधीन रिहाई यानि मर्त्सना करके छोड़े गये	परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन रिहाई पर बिना निरीक्षण के	परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(3) के अधीन निरीक्षण पर रिहा	कुल व्यक्ति जो परिवीक्षा अधिनियम के अनुसार रिहा किये गये
1	2	3	4	5	6
1.	अम्बाला	—	—	—	—
2.	हिसार	—	35	2	37
3.	रोहतक	—	—	78	78
4.	करनाल	—	—	—	—

26

5.	सिरसा	—	—	18	18
6.	जीन्द	—	—	—	—
7.	गुडगाव	—	4	7	11
8.	भिवानी	—	17	—	17
	कुल	—	56	143	161

27

POPULATION OF PRISONERS OF HARYANA JAILS FROM 1966 TO 2015

SR.	YEAR	AUTHORIZED ACCOMODATION	ACTUAL POPULATION
1	1966	3315	2369
2	1967	3315	3479
3	1968	3315	2458
4	1969	3315	2558
5	1970	3538	2726
6	1971	3538	2839
7	1972	3538	3318
8	1973	3538	2677
9	1974	3538	2908
10	1975	3538	2953
11	1976	3538	3504
12	1977	3538	3124
13	1978	3538	2264
14	1979	3538	2893
15	1980	3538	2578
16	1981	3538	2374

28

17	1982	3598	2815
18	1983	3598	2806
19	1984	3598	3098
20	1985	3598	3379
21	1986	3633	3635
22	1987	3633	3282
23	1988	3633	3596
24	1989	3633	3454
25	1990	3633	4025
26	1991	3633	4443
27	1992	3633	4851
28	1993	3633	5677
29	1994	3603	5694
30	1995	3775	6725
31	1996	3775	6639
32	1997	3775	8167
33	1998	3775	7775
34	1999	3905	8943
35	2000	3905	9510
36	2001	4135	10608

29

37	2002	5567	11040
38	2003	6882	11408
39	2004	6882	11167
40	2005	9115	11081
41	2006	10587	11796
42	2007	10587	12401
43	2008	10678	13284
44	2009	11752	13904
45	2010	14320	15146
46	2011	16034	15274
47	2012	16964	16490
48	2013	16647	17538
49	2014	16647	18642
50	2015	16718	18269

**DETAILS OF PRODUCTION IN THE FACTORIES IN
JAILS FOR THE YEAR 2015-2016**

Sr. No.	Name of the Jail	Factory production (in Rs.)
1	Central Jail, Ambala	12,42,058-00
2	CJ Hisar-I	3,66,210-00
3	CJ Hisar-II	0
4	District Jail, Bhiwani	2,90,420-00
5	District Jail, Palwal	0
6	District Jail, Kaithal	0
7	District Jail, Rohtak	5,03,106-00
8	District Jail, Sonapat	0
9	District Jail, Sirsa	9,51,356-00
10	District Jail, Karnal	8,10,847-00
11	District Jail, Kurukshetra	81,405-00
12	District Jail, Rewari	0
13	District Jail, Gurgaon	0
14	District Jail, Yamuna Nagar	6,63,991-00
15	District Jail, Jind	0
16	District Jail, Narnaul	25,468-00
17	District Jail, Panipat	0
18	District Jail, Faridabad	1,95,794-00
19	District Jail, Jhajjar	0
	Grand Total	51,30,655-00